न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 26/2015 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/000118

उनवान

1. अमर सिंह
2. रूप सिंह
3. अनूप सिंह
4. प्रेम सिंह

पिसरान ग्यासीराम कौम बघेल निवासीगण ढोंडी का पुरा तहसील राजाखेडा।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. तहसीलदार राजाखेडा।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.07.2015 प्रकरण संख्या 28/11 उनवान अमर सिंह बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा।

अभिभाषकगण :–

1. श्री शीतल प्रसाद जैन अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र सिंह जादौन पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–18.01.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय दिनांक 27.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1313 रकवा 12 विस्वा वाके ग्राम ढौडी का पुरा तहसील राजाखेडा पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त है। विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज गनेशीलाल ने तत्कालीन जमींदारान से नियत लगान पर वास्ते काश्त हमेशा–हमेशा को प्राप्त की थी एवं तभी से वादीगण विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजी पर कानूनी तौर पर खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प–धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य का कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया एवं अपीलाण्ट का दावा सरसरी तौर पर खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त बदस्तूर चले आना व अपीलाण्ट का गरीब व पिछडे वर्ग का होना बखूबी साबित होता है। अतः अपीलाण्ट का प्रकरण स्पष्टतः नियमन का बनता था। अपीलाण्ट गरीब हैं एवं उनका पालन पोषण विवादित आराजी से ही होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, आवंटन कमेटी को विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पुराने कब्जे के आधार पर वरीयता दी जाकर, नियमन की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित की जावें। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1994 पेज 311, डीएनजे 1996 पेज 397, आरबीजे 2004 पेज 570 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर अवैध कब्जा है एवं अपीलाण्ट को कई बार विवादित आराजी से बेदखल किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन बीहड(सिवायचक) दर्ज है। जिस पर अपीलांट को नियमानुसार कोई खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु तीन तनकियॉ बनाई गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया वादीगण विवादित आराजी पर जमींदारी जमाने से लागू होने के पूर्व से ही विवादित आराजी पर काबिज रहे हैं तथा उन्होंनें गनेशीलाल जमींदारान से प्राप्त की थी"** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/अपीलाण्ट पर था। वादी/अपीलाण्ट द्वारा उक्त तनकी को साबित करने हेतु ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी को वादी के पूर्वजो ने हमेशा–हमेशा के लिये, विवादित आराजी के पूर्व जमींदार गनेशीलाल से काश्त पर लिया हो। बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन का, कोई महत्व नहीं है एवं ना ही उन्हें मौखिक कथनो के आधार पर विवादित आराजी पर खातेदारी ही दी जा सकती है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना से पूर्ण सहमत हैं।

7. <u>तनकी संख्या 02</u> **"आया प्रतिवादी ने नोटिस 80 सीपीसी का उत्तर नहीं दिया है"** प्रतिवादी द्वारा उक्त 80 सीपीसी नोटिस को प्राप्त होना नहीं बताया है। अतः तनकी विवेचना आवश्यक नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

8. <u>तनकी संख्या 03</u> **"आया वादी एक अतिक्रमी है। अतः वह कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं"** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण/रैस्पो0 पर था। प्रतिवादी ने अतिक्रमण की रसीदे प्रस्तुत की गयी हैं। जिससे स्पष्ट है कि वादी की हैसियत एक अतिक्रमी की रही है तथा उसे समय समय पर विवादित आराजी से बेदखल किया गया है। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि कब्जे के आधार पर प्रकरण को आवंटन समिति के समक्ष नियमन की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें। हम पाते हैं कि वादी अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बार–बार बेदखल किये जाने से वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा नहीं रहा है तो वादी अपीलाण्ट की नियमन की पात्रता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण का नियमन किया जाना भी कोई वैधानिक अधिकार नहीं होकर प्रशासनिक प्रक्रिया है। अतः अपीलाण्ट हस्तगत अपील से कोई रियायत पाने के अधिकारी नहीं होते हैं।

9. अनुतोष :– समस्त तनकियों का निस्तारण हो चुका है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की सकारण विस्तार से विवेचना की जाकर तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2015 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.01.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम धौलपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–26/2015 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. अमरसिंह
2. रूपसिंह
3. अनूपसिंह
4. प्रेम सिंह

पिसरान ग्यासीराम कौम बघेल निवासीगण ढोंडी का पुरा तहसील राजाखेडा।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. तहसीलदार राजाखेडा।

..... रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दिनांक 27.07.2015 प्रकरण संख्या 28/2011 उनवान अमरसिंह बनाम सरकार।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री शीतल प्रसाद जैन अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री गजेन्द्र सिंह जादौन मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2015 यथावत रखे जाते है।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....18.....माह.....01.....सन्.....2022.....को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

औहदा.....

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।